(16)

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी,जयपुर
(चिकित्सा शिक्षा भवन –गोविन्द मार्ग, जयपुर)

क्रमांक :– प. 15 (5)(जी) /राजमेस/कोर्ट केस/17/72 दिनांक:– 04/01/18

स्थाई आदेश संख्या 01/2018

न्यायिक प्रकरणों में राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त पैनल एडवोकेट के लिये निम्नानुसार पैरवी फीस एवं अन्य खर्चे व नियम एवं शर्ते निर्धारित की जाती है:–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	कुल विधिक पारिश्रमिक (रूपये)	अन्य खर्चे (प्रति प्रकरण) रूपये में
1	राजस्थान उच्च न्यायालय एस.बी./डी.बी. याचिका/अवमानना एस.बी./डी.बी	8000/–	1200 (ड्राफ्टिंग चार्जेज)
2	सिविल न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं समझौता अधिकारी, जिला उपभोक्ता मंच एवं अन्य अधिनस्थ न्यायालय	3000/–	विविध खर्चे बाजार दर से भुगतान
3	सर्वोच्च न्यायालय	55000/–	विविध खर्चे बाजार दर से भुगतान
4	माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली व राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय	22000/–	विविध खर्चे बाजार दर से भुगतान
5	राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रतितोष निवारण मंच	22000/–	विविध खर्चे बाजार दर से भुगतान
6	राज्य उपभोक्ता प्रतितोष निवारण मंच	8000/–	विविध खर्चे बाजार दर से भुगतान
7	केविएट	1000/–	
8	विशेष प्रकरणों में विस्तृत राय	1000/–	
9	विधिक नोटिस फीस	1000/–	
10	न्यायालय निर्णय की नकल		400/–
11	टाइपिंग		रू 400/– 20 पृष्ठ तक एवं 20 पृष्ठ के बाद 10 रू प्रति पृष्ठ
12	फोटोकॉपी शुल्क		2 रू प्रति पेज

एक समान प्रकृति के एक से अधिक प्रकरण होने पर देय विधिक पारिश्रमिक निम्न अनुसार है:–

क्र.सं.	प्रकरण की प्रकृति	नवीन विधिक पारिश्रमिक
अ	राजस्थान उच्च न्यायालय एस.बी./डी.बी. याचिका/अवमानना एस.बी./डी.बी.	
	प्रथम प्रकरण	8000 रूपये
	द्वितीय प्रकरण	निर्धारित राशि का 75%
	तृतीय प्रकरण	निर्धारित राशि का 50%
	चतुर्थ प्रकरण	निर्धारित राशि का 50%
	पंचम प्रकरण	निर्धारित राशि का 50%
	पॉच से अधिक प्रकरण पर	प्रति प्रकरण निर्धारित राशि का 40%
ख	रिव्यू याचिका	खण्ड अ में निर्धारित राशि का 50% (4000)

नियम व शर्ते:–

1. पैनल अधिवक्ता/अधिवक्ता की नियुक्ति आदेश सोसायटी से जारी होने पर ही विधिक पारिश्रमिक देय होगा।
2. पैनल अधिवक्ता/अधिवक्ता को कुल राशि का 50 प्रतिशत पारिश्रमिक एवं टंकण खर्चा जवाब न्यायालय में पेश होने पर एवं शेष राशि निर्णय की प्रति एवं अधिवक्ता की अन्तिम राय प्राप्त होने पर ही देय होगी।

Scanned by CamScanner

3. महत्वपूर्ण व आवश्यक मामलों में संबन्धित गोपनीय सूचनाऐं एवं दस्तावेज अधिवक्ता द्वारा लिखित में चाहे जाने पर वाद प्रभारी/ संयोजक राजमेस की अनुमति से देय होगी तथा वापिस संयोजक राजमेस /वाद प्रभारी को देना होगा।

4. सोसायटी से सम्बन्धित प्रकरणों में पैरवी के लिए नियुक्त अधिवक्तागण पैनल में रहने तक सोसायटी के विरूद्व किसी भी न्यायालय में पैरवी नहीं करेंगे।

5. सोसायटी के विरूद्व निर्णय/स्थगनादेश आदि की सूचना पैनल अधिवक्ता को शीघ्र संयोजक राजमेस /विधी अनुभाग प्रभारी/वाद प्रभारी को देनी होगी जिससे आगामी कार्यवाही शीघ्र की जा सकें।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में स्पेशल अनुमति याचिका किसी विशेष प्रकरण में प्रस्तुत करना आवश्यक हो तो निर्णय प्रति मय विधिक राय (नियम/कानुन/अध्यादेश) आदि का उल्लेख करते हुए शीघ्र संयोजक राजमेस /वाद प्रभारी/विधि अनुभाग प्रभारी को भिजवाई जावेगी।

7. पैनल लॉयर की अनुपस्थिति/न्यायालय में पैरवी नहीं होने पर सोसायटी के विरूद्व कोई प्रकरण निर्णित होता है, तो किसी प्रकार का विधिक पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

8. वाद प्रभारी विधिक पारिश्रमिक एवं वास्तविक खर्चो का बिल प्रमाणीकरण कर प्रभारी विधि अनुभाग के शीघ्र प्रस्तुत करेंगें।

9. वाद प्रभारी की लापरवाही के कारण विश्वविद्यालय के विपरीत कोई प्रकरण निर्णित होता है, समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं होता है अथवा निर्णय होने पर निर्णय प्रति प्राप्त कर विधि अनुभाग में प्रस्तुत नहीं करने पर वाद प्रभारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

10. सभी न्यायालय प्रकरणों की मानिटरिंग विधि अनुभाग के द्वारा संयोजक राजमेस के निर्देशन में सम्पन्न करेंगे तथा पैनल अधिवक्तागण एवं वाद प्रभारी समय-समय पर विधिक समस्याओं एवं सुझाओं से विधि अनुभाग को अवगत करायेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरान्त जारी किये जा रहे है।

समन्वयक, राजमेस एवं
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक :- प. 15 (5)(जी) /राजमेस/कोर्ट केस/17/72 दिनांकः- 07/01/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक-माननीय अध्यक्ष राजमेस एवं मंत्री चिकित्सा विभाग, राज. सरकार।
2. निजी सचिव-उपाध्यक्ष (राजमेस) एवं शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य, नवीन मेडिकल कॉलेज।
4. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. उप विधि परामर्शी, राजमेस।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस।
7. उप निदेशक (एके.) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
9. रक्षित पत्रावली।

समन्वयक, राजमेस एवं
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner